बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संचिका सं0–09/विविध पत्राचार–04–22/2017 पटना, दिनांक–

अत्यावश्यक

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

स्मार

सभी मुख्य अभियंता,
सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता,
उप निदेशक, परीक्षण / प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।
मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना।
सम्पर्क पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार भवन, नई दिल्ली।
सचिव, बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण, पटना।
अवर सचिव (लेखा/मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशि को राज्य की समेकित निधि में जमा करने के संबंध में।

प्रसंगः– वित्त विभागीय पत्र सं0–1396/वि0, दिनांक–22.02.18, 782/वि0, दिनांक–01.02.2018, वित्त विभागीय अर्द्ध सरकारी पत्र सं0–9645/वि0, दिनांक–12.12.2017, विभागीय पत्रांक–11235 (एस0) दिनांक–07.12.2017, विभागीय पत्रांक–12012 (एस0) दिनांक– 22.12.2017, वित्त विभागीय पत्रांक–1144/वि0, दिनांक– 20.11.2017 एवं मुख्य सचिव, बिहार का पत्र सं0–8978, दिनांक–17.11.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–996 (ई0) दिनांक–12.02.18, 12012 (एस0) दिनांक–22.12.2017 एवं पत्रांक–11235 (एस0) दिनांक–07.12.2017 द्वारा वित्त विभागीय पत्र सं0–1144/वि0, दिनांक–20.11.2017 तथा मुख्य सचिव, बिहार का पत्र सं0–8978, दिनांक–17.11.2017 के संदर्भ में निदेश दिया गया है कि जिन बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशि जिसका व्यय दिनांक–31.03.2018 तक संभावित नहीं है, को राज्य की समेकित निधि में दिनांक–31.12.2017 तक जमा कराना सुनिश्चित किया जाए। पुनः वित्त विभागीय पत्र सं0–1396/वि0, दिनांक–22.02.18 द्वारा विभाग अन्तर्गत संधारित बैंक खातों में लंबी अवधि से संचित अव्यवहृत राशि जिसका व्यय दिनांक–31.03.2018 तक संभव नहीं है, को अविलम्ब समेकित निधि में जमा कराने का निदेश है। बैंक खातो में संचित एवं अव्यवहृत राशि का व्यय न होने की स्थिति में अवशेष राशि को समेकित निधि में जमा किये बिना कोषागार से वित्तीय संव्यवहार बंद कर दिया जायेगा। वित्त विभाग से प्राप्त अद्यतन सूची के अनुसार अभी भी कई कार्यालयों द्वारा बैक में कुल ₹39.09 करोड़ राशि जमा है, जो अत्यन्त ही खेद का विषय है।

अतः निदेशित किया जाता है कि बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशि, जिसका व्यय दिनांक–31.03.2018 तक संभव नही है, को अचूक रूप से राज्य की समेकित निधि में जमा कराते हुये तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। उक्त निदेश के अनुपालन नहीं करने पर संबंधित पदाधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जायेगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–

ज्ञापांक–09/विविध पत्राचार–04–22/2017 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक–09/विविध पत्राचार–04–22/2017 1725(S) पटना, दिनांक– 06/03/18

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) /विभागीय आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/18

(अमृत लाल मीणा)